न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—269/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/269)

1. श्रीमती इन्द्र जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्री श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्रीमती राजेश्वरी जैन पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्री श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री ताराचन्छ सिंधी, जाति जैन
2. श्रीमती मंजू सिंधी पत्नि श्री अनिल कुमार सिंधी जाति जैन
3. श्रीमती सुप्रिया सिंधी पत्नि श्री अखिल कुमार सिंधी जाति जैन निवासीगण दूदू रोड, मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
4. अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मीचन्द जैन, जाति जैन, पता दीपक ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी केकडी जिला अजमेर।
5. दीपक कुमार धूपिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन, जाति जैन
6. राजेन्द्र कुमार धूपिया पुत्र श्री समरथ सिंह धूपिया जाति जैन पता महेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार (आडतिया) कृषि उपज मण्डी केकडी जिला अजमेर।
7. सुरेश कुमार पुत्र श्री जोधाराम धाकड जाति धाकड
8. श्रीमती सीमा पत्नि श्री सुरेश कुमार धाकड जाति धाकड निवासीगण भीमगढ मेहरू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
9. अखिल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार सिंधी, जाति जैन, निवासी दूदू रोड मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
10. मुकेश कुमार पुत्र श्री हरकचन्द छीपा जाति छीपा
11. महावीर धाकड पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण धाकड जाति धाकड
12. घीसालाल जैन पुत्र श्री सुगनचन्द जैन, जाति जैन निवासीगण ग्राम देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर। **(फौत नामतर्क—13.01.2026)**
13. तहसीलदार, तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

14. श्रीमती मंजू जैन पत्नि श्री भागचन्द जैन पुत्री श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी मेवदा तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. श्रीमती हेमलता जैन पत्नि श्री मुकेश जैन, पुत्री श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी डाबी तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. श्रीमती रेखा जैन पत्नि विमल कुमार जैन पुत्री श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी गुढा खुर्द तहसील विजयनगर, जिला अजमेर।
17. दीपक कुमार जैन पुत्र श्री घीसालाल जैन, जाति जैन, निवासी ग्राम देवगां तहसील केकडी जिला अजमेर।
18. श्रीमती लाडा पत्नि श्री विमल कुमार पुत्री श्री भागचन्द जैन, जाति जैन, निवासी खोले के हनुमान जी के पास बास बदनपुरा, जयपुर।
19. श्रीमती मनोहर पत्नि श्री प्रेम जैन पुत्री श्री भागचन्द जैन, जाति जैन निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
20. श्रीमती मंजू पत्नि श्री सुभाष जैन पुत्री श्री भागचन्द जैन, जाति जैन, निवासी भांवता, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

21. महावीर जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन, जाति जैन
22. श्रीमती इन्द्रा जैन पत्नि श्री राजेन्द्र जैन, जाति जैन
23. मुकेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन जाति जैन निवासीगण निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
24. श्रीमती रेखा पुत्री श्री राजेन्द्र जैन, जाति जैन, निवासी पारोली, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 256/2022(2022/833)

उपस्थितः–

1. श्री मनीष खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनीष छीपा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 7, 10
3. दिनेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11
4. श्री शिशिर विजयवर्गीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 14 से 24
5. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13

निर्णय

दिनांकः–27.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 256/2022 (2022/833) में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी तथा प्रोफार्मा प्रत्यार्थीगण संख्या 14 लगायत 24 ने बतौर वादीगण उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष वादवर्णित आराजी बाबत विभाजन, खातेदारी, घोषणा, विक्रयपत्र को शून्य व अप्रभावी घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्जर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 256/2022 (2022/833) में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया तथा ना ही आक्षेपित आदेश में राजस्व रिकार्ड के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से वादवर्णित आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक संपत्ति साबित होती है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड खतौनी जमाबन्दी सन फसली 1358 में वादवर्णित आराजी पुस्तैनी होना स्पष्ट अंकित है जिससे जाहिर है कि वादवर्णित आराजी अपीलार्थी/प्रार्थीगण के पिता धौसालाल प्रत्यार्थी संख्या 12 को विरासतन प्राप्त हुई है। वादवर्णित आराजी धीसालाल की स्वअर्जित सम्पति ना होकर पुश्तैनी सम्पति होने से अपीलार्थी/प्रार्थीगण तथा प्रत्यार्थी संख्या 14 लगायत 24 का उक्त सम्पति में जन्म से (By Birth) ही हक व अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण मृतक सुगनचन्द के वारिस होने से वादवर्णित आराजी में हक व अधिकार रखते है तथा अपीलार्थी के हक व अधिकारों के विपरीत जाकर उक्त विक्रयपत्र निष्पादित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में इस सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवेचन नहीं किया जाकर विधि भूल कारित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष दिया गया कि "प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रत्यायर्थी संख्या 1 लगायत 11 के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया गया। उक्त निष्कर्ष किस दस्तावेज अथवा किस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से वादवर्णित आराजी पुश्तैनी साबित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है इसके अतिरिक्त पुश्तैनी सम्पति में अपीलार्थी के हक व हिस्से का आराजी को खुर्द–बुर्द किये जाने पर अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि प्रत्यार्थी संख्या लगायत 11 द्वारा बार–बार वादवर्णित आराजी के विक्रयपत्र निष्पादित किये जाकर वाद–बाहुल्यता को बढाया जा रहा है तथा सम्पति को खुर्द–बुर्द करने की नियत रखते है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादवर्णित आराजी अथवा सम्पति को संरक्षित किया जाना आवश्यक है तथा वाद–बाहुल्यता को बढ़ने से रोकना न्यायालय का कर्तव्य होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्त की पालना में आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जाकर विधिक भूल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिना किसी युक्तियुक्त आधार (Reasoned Order) तथा अमुखरित आदेश (Non&speaking Order) पारित किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक आदेश युक्तियुक्त आधार (Reasoned Order) एंव मुखरित आदेश (Speaking Order) होना आज्ञापक व आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील

अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 256/2022 (2022/833) में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति होने के सबंध में किसी भी प्रकार का कोई राजस्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और ना ही अपीलांट के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है इस कारण अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। फसली जमाबंदी सम्वत 1358 से ही रेस्पो० संख्या 12 घीसालाल जैन पुत्र सुगनचंद जैन के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन होकर दर्ज चला आ रहा है तथा रेस्पो० ने विवादित आराजी का क्रय किया है और खरीद की दिनांक से आज तक विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर पिछले 80 वर्षो से आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहा है इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दू रेस्पो० के पक्ष में होने के कारण परीक्षण न्यायालय के द्वारा वादी/अपीलाट का वाद खारीज किया गया था इस कारण से भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने योग्य है। मृतक सुगनचंद के नाम वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में भी अंकित नहीं हुई थी बल्कि प्रतिवादी/रेस्पो० घीसालाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी वादग्रस्त आराजी वादीगण/अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति नहीं होने से वादीगण/अपीलांट वादग्रस्त आराजी में कोई हक, अधिकार हिस्सा एंव सबंध सरोकार नहीं है तथा मृतक सुगनचंद की कोई सम्पत्ति ही नहीं होने से वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार स्थापित नहीं है बल्कि विवादित आराजी सुगनचंद की नहीं होकर रेस्पो० घीसालाल की स्वअर्जित आराजी थी इस कारण वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं होने से वादीगण/अपीलांट का कोई हिस्सा विधिक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने योग्य है। तथाकथित अंकित विक्रय पत्र विधिक रूप से सही निष्पादित एंव तहरीर कराये गये है जो कि राजस्व रेकार्ड मे अंकित खातेदार द्वारा सही पंजीबंद्ध कराये गये है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम निष्पादित विक्रय पत्रों दिनांक 11.6.2014 व 3.7.2015 के नाम रिकार्डेड खातेदार घीसालाल द्वारा अपने पुत्र स्वयं वादी संख्या 6 की सहमति एंव उपस्थिति में निष्पादित व पंजीबद्ध कराये गये है इस कारण वादीगण इन्द्रा व राजेश्वरी को उक्त वाद लाने का कोई अधिकार नहीं था प्रतिवादी संख्या 12 का नाम राजस्व रेकार्ड की प्रारम्भिक अवस्था में बतौर खातेदार काश्तकार जमाबंदी मे अंकन होने से प्रतिवादी संख्या 12 को वादग्रस्त आराजी को बैचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी नहीं होकर प्रतिवादी सं० 12 की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसे विक्रय करने का पूर्ण विधिक हक व अधिकार निहित था तथा प्रतिवादी सं० 12 के नाम शुरू से जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार अंकन होने से उपरोक्त विकय पत्र सही पंजीबद्व कराये जाने से नल एण्ड वोईड घोषित कराने का वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त विकय पत्रों को वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती आज दिनांक तक नहीं दी गयी है ऐसी स्थिति में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांट

सन 2014 से दिनांक 10.8.2022 तक यानि 8 वर्ष तक किसी प्रकार से ग्रसित नहीं हुए जब उसी आराजीयात की तीसरी बार रजिस्ट्री निष्पादित की जा रही है उस समय नल एण्ड वोईड के लिये प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1997 पेज 30, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 232, आर.बी.जे. 2006 पेज 21, आर.आर.टी. 2023 पार्ट–2 पेज 938, प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.07.2023 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर 1167, 685, 713, 714 कुल किता 4 कुल रकबा 11.22 है0 है। उक्त विवादित आराजीयात को अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने पूर्वज सुगनचंद के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात होना बताया है तथा उनके निधन के पश्चात उक्त आराजीयात उनके पुत्र घीसालाल/रेस्पोडेंट संख्या 12 के नाम दर्ज हुई व सुगनचंद के एक पुत्री घीसीबाई थी सुगनचंद के कुल दो संतोने हुई इस आधार पर प्रत्येक का विवादित आराजीयात में 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित था परंतु संपूर्ण आराजीयात राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 12/घीसालाल के नाम दर्ज हो गई व घीसालाल द्वारा खसरा नम्बर 713 व 714 का संपूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1167 का 1/2 हिस्सा प्रत्यार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 11.06.2014 को तथा प्रत्यार्थी संख्या 2 के पक्ष में खसरा संख्या 685 का संपूर्ण हिस्सा दिनांक 03.07.2015 को तथा प्रत्यार्थी संख्या 3 के पक्ष में खसरा संख्या 1167 का शेष 1/2 हिस्सा दिनांक 03.07.2015 को विक्रय कर दिया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त आराजीयात को प्रत्यार्थी संख्या 4 लगायत 6 को विक्रय कर दिया। उसके पश्चात प्रत्यार्थी संख्या 4 लगायत 6 ने विवादित आराजीयात को प्रत्यार्थी संख्या 7 लगायत 11 के पक्ष में दिनांक 10.08.2020 को विक्रय कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध हाल राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 11 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार दर्ज हैं। रेस्पोडेंट द्वारा बहस में

उक्त आराजीयात को घीसालाल/रेस्पोडेंट संख्या 12 की स्वअर्जित आराजीयात होना बताया व कथन किया कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी नहीं होकर स्वअर्जित है, अतः उक्त आराजीयात को रेस्पोडेंट संख्या 12 को बैचान करने का पूर्ण हक अधिकार था। परंतु इन समस्त तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद साक्ष्य मूल वाद के अंतिम निस्तारण पश्चात तय होगा कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों अनुसार उक्त आराजीयात में उनके हक अधिकार विद्यमान हैं या नहीं तथा रेस्पोडेंट संख्या 12 द्वारा किया गया बैचान सही है या नहीं प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था, अपीलांट प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट तय किया जाता है।

न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे(18) 2011 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत– RAJASTHAN TENANCY ACT,1955- Section 212- Temporary injunction cannot be granted against recorded khatedar.

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण का अंतिम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के गुणावगुण के निस्तारण पश्चात ही हो सकेगा। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र से हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार सुविधा का संतुलन बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट सिद्ध होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति :–</u> अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो, वर्तमान रेस्पोडेंट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा। चूंकि रेस्पोडेंट राजस्व दस्तावेजों में रिकार्डेड खातेदार दर्ज हैं। इसलिए उक्त प्रकरण में अपीलांट्स की बजाय रेस्पोडेंट को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वरन इस बाबत अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट्स को होने वाली क्षति व भारी असुविधा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होने से व उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट को किस प्रकार क्षति कारित होगी या हुई है, इस बाबत वह अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंटगण के पक्ष में सिद्ध होते है।

यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए **(1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार

के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 256/2022 (2022/833) में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर